

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 502] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 1982/कार्तिक 12, 1904
No. 502] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 3, 1982/KARTIKA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1982

का० भा० 779(अ)—केन्द्रीय सरकार, ट्रेक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण अधिनियम, 1971 के
खंड 3 के अनुसरण में और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अधि-
सूचना संख्यांका का०भा० 627(अ), तारीख 11 अगस्त, 1980 को अधिकांश करने हुए, भारत
सरकार के उद्योग मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में उप सचिव श्री आर० रामानुजम् का उक्त
आदेश के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक के रूप में नियुक्त करना है और भारत में विभिन्न ट्रेक्टरों
की भारत उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उक्त नियंत्रक के रूप में नीति है।

[सं 12(21)/74-ग० ई० आर्क० (II)]

मूर्तमण गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 1982

S.O. 779 (E).—In pursuance of clause 3 of the Tractors (Distribution and Sale) Control Order, 1971 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry) No. S.O. 627(E) dated the 11th August, 1980 the Central Government hereby appoints Shri R. Ramanujam, Deputy Secretary, Ministry of Industry, Department of Heavy Industry, Government of India, as a Controller for the purposes of the said Order and assigns to him the functions of Controller under the provision of the said Order in respect of Tractor manufactured in India.

[No. 12(21)/74-AEI(II)]
M. C. GUPTA, Jt. Secy.